दिल्ली में असुरक्षित भवन

*303. श्री ईश दत्त यादव:
श्री रामगोपाल यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा असुरक्षित घोषित किये गये केन्द्रीय सरकार, स्थानीय निकायों के भवनों तथा निजी भवनों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली अग्निशमन सेवा ने इन सभी असुरक्षित भवनों में कभी भी भीषण अग्निकांड होने की संभावना के बारे में सूचित किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी भवनों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

† सभा में यह प्रश्न श्री ईश दत्त यादव द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) से (ग) आज की तारीख तक दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने, अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टि से 86 भवनों को असुरक्षित घोषित किया है। इनमें से 12 भवन केन्द्र सरकार के, 16 भवन स्थानीय और स्वायत्तशासी निकायों के और शेष 58 निजी भवन हैं। ये सभी भवन 6 जून, 1983 से पहले के बने हुए हैं, जब कानून में कार्य संपूर्ण प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मुख्य अग्नि शमन अधिकारी दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था नहीं थी।

कोई भी गगन चुम्बी इमारत, यदि वह निर्धारित 12 सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो उसे अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित घोषित किया जाता है। उपरिलिखित 86 भवन लगातार असुरक्षित घोषित रहे हैं क्योंकि वे इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए 12 केन्द्रीय सरकारी भवनों में से जिन्हें असुरक्षित घोषित किया गया है, दो भवनों ने 11 आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, अन्य दो ने 10 आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, एक ने 9 आवश्यकताओं को पूरा किया है, तीन ने 7 और शेष 4 ने 6 आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है।

दिल्ली अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के प्राख्यापन के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दिल्ली शमन सेवा को, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे भवनों की पहचान करने का कार्य जहां अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी है, उन भवनों के मालिकों/रहने वालों को अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं के संबंध में अवगत कराना और नोटिस तथा निरन्तर निरीक्षणों के माध्यम से इन आवश्यकताओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास में लगी हुई है। इन प्रयासों की वजह से, दिल्ली में असुरक्षित भवनों की संख्या 1988 में 194 से घटकर जून, 1998 में 86 रह गयी है।

प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर इस बारे में जन सामान्य को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर सभापति जी, गत वर्ष दिल्ली में उपहार सिनेमा में आग लगी और वह हृदय-विदारक घटना बनी। उस के बाद अग्नि-शमन विभाग और सरकार को थोड़ा स्थिति की गंभीरता का ज्ञान हुआ और फिर दिल्ली के अंदर 86 भवन चिन्हित किए गए है कि इन में आग लगने की संभावना है जिन में से 12 भवन भारत सरकार के हैं जिन में सेना भवन, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, शास्त्री भवन, बड़ौदा हाउस, रेल निवास, एम०एस० फ्लैट्स भी हैं जोकि चिन्हित किए गए है।

मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि एक वर्ष के प्रयास के बाद यह भवन चिह्नित किए गए हैं और अग्निशमन विभाग ने कहा है कि इसमें कभी भी आग लग सकती है। मान्यवर, सेना भवन और शास्त्री भवन ऐसे भवन है, जिसमें राष्ट्र का सारा कारोबार तो है ही, सारे रिकार्डस वगैरह भी हैं, भगवान न करे कि वहां ऐसी कोई घटना हो। शास्त्री भवन में तो तमाम मंत्रालय हैं और मंत्री लोग भी वहां बैठते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अग्नि शमन विभाग दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि अग्नि शमन विभाग के सूचना देने के बाद 12 केन्द्रीय सरकार के भवनों में से, जिन्हें असुरक्षित घोषित किया गया है, उनमें 2 भवनों में 11 आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है, जबकि 12 आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि अन्य 2 भवनों में 10 आवश्यकताओं, एक में नौ आवश्यकताओं, तीन में 7 आवश्यकताओं और शेष चार में 6 आवश्यकताओं को

पूरा कर लिया गया है। हमारी जानकारी है और अग्नि शमन विभाग का भी कहना है कि अगर तत्काल यह व्यवस्था नहीं की गई तो सरकारी भवनों और निजी भवनों में कभी भी आग लग सकती है और भयंकर घटना भी हो सकती है।

MR. CHAIRMAN: Please ask a specific question.

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, इसी पृष्ठभूमि में मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब आपको यह जानकारी हो गई है तो सरकार की ओर से इस तरह की उपेक्षा और लापरवाही क्यों की जा रही है? आप कब तक एनस्योर कर लेंगे, सारी आवश्यकताएं पूरी कर लेंगे कि यह भवन अग्नि लगने की दृष्टि से सुरक्षित हो जाएं? यह मेरे प्रश्न का भाग "क" है और भाग "ख" में, मान्यवर, मंत्री जी ने केवल सरकारी भवनों के बारे में उत्तर दिया है, इसमें 16 स्थानीय निकाय के भी भवन हैं और 58 निजी भवन भी हैं, जिनके बारे में सरकार ने कोई उत्तर हमको नहीं दिया है। इसलिए हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि स्थानीय निकाय और निजी भवनों में जहां आग लगने की संभावना है, उसके संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, सचमुच मेरे सामने जब यह सूची रखी गई कि इस समय आग की दृष्टि से दिल्ली में अनसेफ बिल्डिंग कितनी हैं और मुझे जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि 12 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग हैं, उसके अलावा आटोनोमस बोडी, लोकल बोडी की और प्राइवेट बिल्डिंग इतनी हैं तो मेरे मन में यही सवाल पैदा हुए, जो अभी-अभी माननीय सदस्य ने अपने पूरक प्रश्न के संदर्भ में पूछे थे। मुझे लगता है कि यह साल भर पहले जब उपहार की घटना हुई, उसके बाद से लेकर के कार्यवाही शुरू हुई है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अगर ऐसी कोई बिल्डिंग बने तो उसको पहले-पहले फायर सेफ्टी की दृष्टि से नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए, यह क्रम वर्ष 1983 में शुरू हुआ था। उससे पहले जितनी बिल्डिंग बनीं, कभी भी इस प्रकार की फायर की चिंता नहीं होती थी, बाद में होनी लगी। बाद में कानून भी बनाया गया और बाद में धीरे-धीरे करके यह जो क्राइटेरियन है कि आग की दृष्टि से सेफ बिल्डिंग यह मानी जाएगी, यह 12 कसौटियां हैं, उनको लागू करने लगे। मैं आपको, सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 1988 में कानून बनने के थोड़े साल बाद सरकार की 95 बिल्डिंग ऐसी थीं जो अनसेफ मानी जाती थीं, आज 95 की संख्या कम होकर के 28 तक पहुंची है, जिनमें से यह 12 केन्द्र सरकार की हैं क्योंकि यह सबसे पहले बनी हैं और जब सबसे पहले बनीं तब यह आवश्यकताएं नहीं थीं। हाई राइज बिल्डिंग की कल्पना तब थी ही नहीं। हाई राइज बिल्डिंग जब दिल्ली में बनने लगीं तो उसी समय कलकत्ता में एक बड़ी आग लगी, एक बम्बई में बड़ी आग लगी और उसके कारण से एक कमेटी यहां पर बैठी। उस कमेटी ने यह सारे क्राइटेरियन तय किए। इन क्राइटेरियन को बहुत कड़ाई के साथ लागू करने की कोशिश की जाती रही है और उसके आधार पर इतनी प्रगति हुई है। इसीलिए यह सोचना कि शासन इस बारे में उदासीन है, यह सही नहीं है। अगर शासन उदासीन होता, तो यह संख्या जो 194 की थी 1988 में, कुल मिलाकर के अनसेफ बिल्डिंग की, वह 194 से घटकर के 86 तक नहीं होती। अधिकांश अभी भी प्राइवेट बिल्डिंग हैं, जिनके लिए इन कसौटियों को स्वीकार करना, लागू करना मुश्किल है, लेकिन सदस्य स्वीकार करेंगे कि अगर वहां पर अभी तक वह कसौटियां लागू नहीं की हैं तो उसके कारण उन मकानों को गिरा देना उचित नहीं होगा, एक तो पहले बन चुकी थी इसलिए।

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, मैं गृह मंत्री जी की बात से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि जो सरकारी भवन हैं या निजी भवन हैं या स्वायत्तशासी संस्थाओं के भवन हैं, इनकी सुरक्षा तुरंत इन्श्योर की जानी चाहिए और केन्द्र सरकार के जो भवन हैं, इनमें भी जो 12 उपाय होने चाहिए, वे सारे उपाय नहीं किए जा रहे हैं। मैंने पूछा कि इसमें कमी क्यों हो रही है, जब जानकारी हो गई है, तो इसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने हमको कोई उत्तर नहीं दिया। मैं इसका भी उत्तर चाहूंगा।

मान्यवर, दूसरा कारण यह है कि अग्नि शमन विभाग जो है, यह बड़ा पुराना विभाग है और मेरे पास एक रिपोर्ट है, इसमें यह लिखा है कि अब दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1.20 करोड़ होने जा रही है और अग्नि शमन विभाग में जो गाड़ियां रखी गई थीं अग्नि शमन शांत करने के लिए, वे लगभग 150 हैं और उनमें भी अधिकांश गाड़ियां खराब हो चुकी हैं, जो आग नहीं बुझा सकती हैं और अग्नि शमन विभाग के कर्मचारी भी बहुत कम हैं, मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या अग्नि शमन विभाग को सक्षम बनाने के लिए, अग्नि बुझाने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए, उनके

301/77-F/A

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने कभी गंभीरता से विचार किया है ताकि अगर कोई भयंकर घटना हो तो उस पर काबू पाया जा सके, इस पर क्या सरकार विचार कर रही है या इस बारे में सरकार की कोई योजना है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य का यह सवाल उपयुक्त है कि अग्नि शमन विभाग को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के बारे में कदम उठाए जाने चाहिएं और मैं आपको बता सकता हूं कि न केवल उनकी स्पीड बढ़ाई जा रही है, बल्कि हाइड्रोलिक प्लेटफार्म, हाइड्रोलिक प्लेटफार्म कम टर्न टेबल लैडर, जो 40 मीटर ऊंचे हैं, टर्न टेबल रेस्क्यू टेंडर, हौज़ लेइंग लॉरी, लाइट वैन, ब्रीदिंग एपरेट्स वैन, हैवी क्रेन, ब्रीदिंग एपरेट्स, इस प्रकार के जितने उपकरण अग्नि शमन विभाग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हैं, उन सबको इनके लिए उपलब्ध करवाया गया है और डिपार्टमेंट ने अपनी और भी आगे बढ़ने की योजना बनाई है, जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री राम गोपाल यादव: सभापति जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि कई निजी बिल्डिंग, जो अनसेफ करार दी गई हैं अग्नि शमन विभाग द्वारा, उनको गिराया नहीं जा सकता और इसमें तमाम तकनीकी दिक्कतें भी आती हैं तथा और कोई दिक्कत न आए, वोट की दिक्कत आ जाती है, तो इसमें दिक्कतें हैं। 1988 से लेकर 1998 तक दस वर्ष गुजर गए और उसके बाद भी अब और समय हो रहा है। मैं अपना प्रश्न केवल शास्त्री भवन तक सीमित रखूंगा। इतने महत्वपूर्ण भवन में, जिसमें कई मंत्रालय हैं, कई मंत्री बैठते हैं, राष्ट्रीय महत्व के बहुत सारे दस्तावेज़ उसमें रहते हैं, उसकी बगल में कृषि भवन है, कृषि भवन में और संभवतः शास्त्री भवन में भी दो-चार साल पहले आग लग भी चुकी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनसेफ बिल्डिंग डिक्लेअर होने के बाद भी ऐसी कौन सी दिक्कत है केन्द्र सरकार के सामने—पैसे की कमी है, तकनीकी अभाव है या और कोई दिक्कत है—जिसकी वजह से 12 जो आवश्यकताएं हैं, असुरक्षित भवन को सुरक्षित बनाने के लिए, वे पूरी नहीं हो पा रही हैं? शास्त्री भवन के संदर्भ में स्पेसिफिकली मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मेरी जानकारी में 7 आवश्यकताएं पूरी हुई हैं, 5 नहीं हुई हैं। माननीय सदस्य ने शास्त्री भवन की ओर ध्यान दिलाया है, मैं केवल शास्त्री भवन का ही नहीं बल्कि बाकी सारे 12, जो केन्द्र सरकार के भवन हैं, बिल्डिंग हैं, उन सबके बारे में एक-एक की व्यक्तिगत जानकारी करके सदन को सूचित करूंगा।

श्री सतीश प्रधान: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि अग्नि शमन सेवा की तरफ जिस ढंग से हमारे देश को या सरकार को देखने की आवश्यकता है, उस ढंग से कभी भी नहीं देखा गया है? यह मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि अग्नि-शमन सेवा को हम अग्नि-शमन सेवा कहते हैं लेकिन सिर्फ अग्नि-शमन, इतना ही काम इसका नहीं रहता है। इसके आगे बढ़कर कुछ और काम उन लोगों को करने पड़ते हैं। जैसे कि साइक्लोन आता है, तब भी इनकी आवश्यकता होती है, बस दुर्घटना हो जाए या बस यमुना में गिर जाती है तो इनको ही वहां भागना पड़ता है, गैस की लीकेज हो जाए तो वहां भी इन्हें भागना पड़ता है। ऐसी सभी स्थितियों में इनके भागने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें क्या इन सभी स्थितियों से निपटने के प्रशिक्षण की व्यवस्था उसके अंतर्गत है? आज गांवों में जगह-जगह गैस सिलेंडर्स का स्टोरेज हो रहा है। यह बड़ी कठिन परिस्थिति है। वहां दुर्घटना कभी भी हो सकती है।

श्री सभापति: यह गांवों का सवाल नहीं है। यह दिल्ली का सवाल है।

श्री सतीश प्रधान: मैं दिल्ली के बारे में ही बोल रहा हूं। ऐसी ही हालत दिल्ली में भी है। दिल्ली के लिए आपने प्लान बनाया है। अलग-अलग कैमिकल्स की, सब किस्म की इंडस्ट्रीज हैं यहां। उस विषय पर क्या मंत्री जी कुछ प्रकाश डाल सकेंगे? क्या सरकार इस बारे में सतर्क है और वह कैसे आगे काम करना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न के उत्तर में मैं पहले कह चुका हूं कि दिल्ली में आग से मुक्ति हो और आग से बचाव हो, इस दृष्टि से जो अग्नि-शमन की व्यवस्था है, उसको प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार उन्होंने ज्यादा वित्तीय मांग भी की है। उस पर इस समय सरकार विचार कर रही है।

391/98 - FIS

SHRI S.R. BOMMAI: Mr. Chairman, Sir, so far as the Shastri Bhavan and other buildings are concerned, the hon. Minister has already assured the House that some steps are being taken for fire safety, but complete protection is not there. So far as the Central Government buildings are concerned, I would like to know from the hon. Minister by which time the safety measures would be completed.

Secondly, some State Governments are constructing new buildings in New Delhi. Is there any coordination between the Central Government and State Governments to see that this Act is made applicable and fire safety equipment is provided in those buildings?

SHRI L.K. ADVANI: So far as new buildings are concerned, without a 'no objection certificate' they will not be able to get a completion certificate at all. Unless adequate measures are taken in respect of fire-fighting protection, they will not be able to get a certificate.

So far as the Central Government buildings including the Shastri Bhavan are concerned, I have already stated that I will be coming forth to inform the House as to what shortcomings are there in these buildings. I consider several of them, may be, some of them are having inherent problems in the structures of these buildings. When these buildings were constructed, necessary precautions were not taken. However, a decision will be taken in that regard.

श्री जनार्दन यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी भवनों में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास हो रहा है लेकिन दिल्ली में लाखों मकान हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। 1983 के बाद जो 12 आवश्यकताएं लगाई गई हैं भवन निर्माण के लिए, क्या निजी कांट्रैक्टर्स जो मकान बना रहे हैं, उनमें ये 12 आवश्यकताएं लागू की जा रही हैं या नहीं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, पहली बात तो यह है कि जो 12 आवश्यकताएं मैंने कहीं, इनका संबंध सब मकानों से नहीं है। ये हाई-राईज बिल्डिंग्स से संबंधित है। आप छोटा मकान बनाएं, एक मंजिल का मकान बनाएं, उसके लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। हाई-राईज बिल्डिंग, जो एक सीमा के ऊपर की ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए यह आवश्यक है और मैंने कहा कि कांट्रैक्टर बना ही नहीं सकता जब तक उसको नो-ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट न मिले और यह कानूनी आवश्यकता है, स्टैट्यूटरी आवश्यकता है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना

*304. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 30 अप्रैल, 1998 तक निजी और सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी तथा कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) क्या इसके लिए आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा इस संबंध में विद्युत क्रय अनुबन्ध पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में विदेशी पूंजी का निवेश और इसकी हिस्सेदारी भी शामिल है; और

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं और उन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1 अप्रैल, 1997 से 30 अप्रैल, 1998 के दौरान के०वि०प्रा० द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) 1991 में भारत सरकार की निजी विद्युत नीति के आरंभ से निजी परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ आशय-पत्र/समझौता ज्ञापन के आधार पर विकसित की गई है। तथापि, फरवरी, 1995 से

† सभा में यह प्रश्न श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी द्वारा पूछा गया।